न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ, जिला-अलवर(राज०)

पीठासीन अधिकारी - मोहित द्विवेदी, आर०जे०एस०
(डी०जे० कैडर)

विविध फौजदारी प्रकरण सं० : 157/2026
सी.आई.एस. नंबर : 137/2026

दीपक पुत्र राजपाल आयु 26 साल निवासी घिकाडा पुलिस थाना चरखी दादरी सदर, जिला-चरखी दादरी (हरि०)

.....प्रार्थी/आरोपी

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, लक्ष्मणगढ (अलवर)

---अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा **483 भा0ना0सु0सं0**
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या-146/2026 पुलिस थाना बडौदामेव
अपराध अन्तर्गत धारा 14/54 आबकारी अधिनियम

उपस्थित-

1. श्री कैलाश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उप०।
2. श्री दिनेश कुमार, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से उप०।

::-आदेश-::

दिनांकः09.06.2026

प्रार्थी/आरोपी दीपक की ओर से प्रस्तुत जमानत के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 480 भा0ना0सु0सं0 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 03.06.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से उक्तानुसार जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मोहन सिंह पु०नि० थाना बडौदामेव द्वारा पर्चा कायमी मुकदमा के

आधार पर प्रथम इतिला रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की, कि आज दिनांक 15.05.2026 को मन थानाधिकारी को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि दिल्ली- मुम्बई हाईवे पर एक सफेद रंग की आई 20 कार जयपुर की तरफ से आ रही है, जिसमें अवैध शराब भरी हुई हो सकती है, उक्त संदिग्ध गाडी की सूचना मिलने पर थाना हाजा से मन थानाधिकारी मोहन सिंह, पु०नि० मय जाप्ता मय सरकारी वाहन चालक अशोक सिंह के समय 11.20 एएम पर रवाना होकर दिल्ली-मुम्बई हाईवे पर चैनल नं० 103.5 के पास पहुंचे, जहां उक्त संदिग्ध वाहन आई 20 कार की नाकाबंदी शुरु की गई । दौराने नाकाबंदी समय करीब 2.15 पीएम पर मुताबिक सूचना आई 20 कार नं० एच आर 89-0953 आती दिखाई दी, जिसे सरकारी वाहन को आडा तिरछा कर बमुश्किल रुकवाया गया व चालक से नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम दीपक पुत्र राजपाल होना बताया । उक्त चालक दीपक के कब्जे में मिली आई 20 कार नं० एच आर 89-0953 को चैक किया गया तो गाडी के अंदर चण्डीगढ हरियाणा निर्मित GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली । मौके पर मन थानाधिकारी ने अपने मोबाइल फोन से ई-साक्ष्य एप पर वीडियोग्राफी की गई । चालक से उसकी कार में भरी मिली हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब GRAND PARTY VODKA के बारे में पूछा तो शख्स दीपक ने उक्त शराब को अपने साथी सुनील पुत्र बलवीर से भरवाकर गुजरात के लिए भेजना व रास्ते में दिल्ली-मुम्बई हाईवे पर कोटा से पहले पुलिस की नाकाबंदी होने से वापस हरियाणा की तरफ लेकर जाना बताया । उक्त शख्स दीपक से आई 20 कार नं० एच आर 89-0953 में इस तरीके से हरियाणा निर्मित शराब को परिवहन कर ले जाने बाबत अनुज्ञा-पत्र के बारे में पूछा तो कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया व शराब को अवैध रुप से लेकर जाना बताया । उक्त शख्स द्वारा अवैध से अपनी कार में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब परिवहन करना जुर्म धारा 14/54 आबकारी अधि० का अपराध प्रमाणित है । शख्स दीपक व उसके कब्जे से चण्डीगढ, हरियाणा निर्मित GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब से भरी मिली आई 20 कार नं० एच आर 89-0953 को हमरा लेकर रवाना होकर वापस थाना आया । जाप्ता में से गवाह मामूर किये जाकर उक्त गाडी में से अंग्रेजी शराब को जाप्ता की मदद से नीचे उतार कर चैक किया तो गाडी में प्लास्टिक पव्वा GRAND

PARTY VODKA की 34 पेटी मिली जिसमें प्रत्येक पेटी में 48 पव्वा भरे हुए व दो प्लास्टिक कट्टा रखे मिले जिनमें एक प्लास्टिक कट्टे में 250 GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब के मिल वे दूसरे प्लास्टिक कट्टे में 267 पव्वा GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब के मिले । इस प्रकार शख्स दीपक के कब्जे से चण्डीगढ, हरियाणा निर्मित GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब के कुल 2149 प्लास्टिक पव्वा मिले । उक्त शराब एक ही मार्का होने पर उक्त कुल 2149 में से एक पव्वा नमूना सेम्पल लिया जाकर शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया व एक पव्वा कन्ट्रोल सेम्पल लिया जाकर शील्ड मोहर कर मार्का ए 1 अंकित किया गया व शराब के 34 कार्टूनों को शील्ड मोहर कर मार्का ए 2 से ए 35 अंकित किया गया । एक प्लास्टिक कट्टा जिसमें 250 पव्वा को शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया व दूसरे प्लास्टिक कट्टा जिसमें नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल निकालने के बाद बचे 265 पव्वा को शील्ड मोहर कर मार्का सी अंकित किया जाकर जरिए फर्द जप्त किया गया व उक्त वाहन को जरिए फर्द जप्त किया गया व अभियुक्त को जरिए फर्द गिरफतार किया गया, इत्यादि.....।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आरोपी ने बहस के दौरान अपने जमानत प्रार्थना-पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को मुकामी पुलिस द्वारा झूंठा फंसाया गया है, जबकि प्रार्थी/आरोपी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त मुकदमे में प्रार्थी/आरोपी से अनुसंधान पूर्ण कर लिया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, न ही होना शेष है तथा प्रार्थी/आरोपी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा दौराने मुकदमा गवाहन को डराएगा, धमकाएगा नहीं । प्रार्थी/आरोपी गांव में चल, अचल सम्पत्ति के साथ निवास करता है, जिसका कहीं भागने का अंदेशा नहीं है । अतः प्रार्थी/आरोपी का जमानत का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि अनुसंधान के दौरान संकलित की गई साक्ष्य-सामग्री से

प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध धारा 14/54 आबकारी अधिनियम का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/आरोपी को मौके पर नाकाबंदी के दौरान गिरफतार किया गया था। उसके कब्जे में जो कार एच आर 89-0953 से GRAND PARTY VODKA की शराब बरामद हुई, जिसमें से प्लास्टिक पव्वा GRAND PARTY VODKA की 34 पेटी मिली जिसमें प्रत्येक पेटी में 48 पव्वा भरे हुए व दो प्लास्टिक कट्टा रखे मिले जिनमें एक प्लास्टिक कट्टे में 250 GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब के मिल वे दूसरे प्लास्टिक कट्टे में 267 पव्वा GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब के मिले । इस प्रकार प्रार्थी/आरोपी के कब्जे से अत्यधिक मात्रा में चण्डीगढ, हरियाणा निर्मित GRAND PARTY VODKA अंग्रेजी शराब के कुल 2149 प्लास्टिक पव्वा बरामद हुए है । इस प्रकार प्रार्थी/आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का रहा है। केस डायरी पर प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की सूची उपलब्ध करवाई गई है, जो निम्न प्रकार से हैः-

<u>प्रार्थी/आरोपी दीपक का आपराधिक रिकॉर्ड</u>

क्र. सं.	प्रथम इत्तिला रि० सं.	पुलिस थाना	न्या० केस नं०	अंतर्गत धारा	प्रथम इत्तिला रि० दर्ज होने की दिनांक	स्टेटस(दोष सिद्ध/ दोषमुक्त जैर विचारण)	गिरफ्तारी की दिनांक	रिहा होने की दिनांक
01	174/ 24	सौंदक ला	-	61(1)ए 4 एक्साईज एक्ट	-	विचाराधीन न्यायालय	-	-

6. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना न्यायालय इस स्तर पर प्रार्थी/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं समझता है।

7. फलतः प्रार्थी/आरोपी दीपक पुत्र राजपाल आयु 26 साल निवासी घिकाडा पुलिस थाना चरखी दादरी सदर, जिला-चरखी दादरी

(हरि०) की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा०ना०सु०सं० अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मोहित द्विवेदी)

8. आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मोहित द्विवेदी)